

२९ ०८  
२५

पत्रावली पैदा हुई। वकील प्रार्थी उप। उन्हें सुना गया। उन्होंने  
अपगत कराया कि वक़्ते ग़ाम अलीपुर की आराजीमत में  
प्रार्थी का नाम चौखाराम के स्थान पर चौखाराम के  
कर्मचारियों की सहवत गलती से दर्ज हो गया। जबकि  
प्रार्थीगण के आधार कार्ड, भोगावाह कार्ड, बैंक पास बुक,  
जमाने की आरा संख्या 281, 282, 283, 360 आदि दस्तावेजों  
में सही नाम चौखाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी संख्या  
२ के पिता का नाम शुद्ध किया जावे। प्रार्थी चौखाराम ने इस  
बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने यह सब वकील प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली  
एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों की नलीगोती अध्ययन  
किया गया। इनके आधार पर हमें नाम शुद्ध किया जाकर  
उचित जाते हैं।

अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार  
भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 584, 561,  
562, 576, 577, 578, 560 वक़्ते ग़ाम अलीपुर में प्रार्थी संख्या  
1 चौखाराम के स्थान पर चौखाराम तथा आ.ख.नं. 585, 587, 51  
वक़्ते ग़ाम अलीपुर में प्रार्थी सं. 2 के पिता का नाम शिवप्रसाद  
पुत्र चौखाराम के स्थान पर शिवप्रसाद पुत्र चौखाराम दुरुस्तर  
राजसंघ रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली फ़ैसल बुमार होकर नंबर से कम हो, बाद  
तकमील जासा दायिल दफ़्तर हो।

(राजेश्वराम जीजा)  
उपखण्ड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर) राज०